

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZATTE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE(REV-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, LEVEL – IV, WING A,
I.P ESTATE, NEW DELHI – 110 002.

No.F 12(9)/Fin.(Rev.-I)/2010-11/D.S.II/09

Dated the 05-01-2011

NOTIFICATION

No.F 12(9)/Fin.(Rev.-I)/2010-11/ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-22 of the Delhi Tax on Luxuries Act,1996, (Delhi Act 10 of 1996) as amended by the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act,2000 (Delhi Act 6 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby, exempts the following persons or class of persons from payment of Luxury Tax on the Luxury to be provided in the Hotels during 6th January to 10th January,2011- with check in on the 6th January,2011 and check out on the 10th January, 2011 (five days) in the National Capital Territory of Delhi:

Delegates/Guests/Participants of Pravasi Bhartiya Divas, 2011, to be organized in New Delhi during 7th -9th January, 2011 by the Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India.

The exemption is granted subject to the following conditions:-

1. The Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India shall provide to the Department of Luxury Tax, Government of NCT of Delhi the list of delegates/guests/participants for the Pravasi Bhartiya Divas-2011 hotel wise and room wise, duration of stay, type of room and tariff charged by the hotel after the completion of Pravasi Bhartiya Divas-2011.
2. The Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India shall issue certificates to respective hotels along with the list of delegates/guests/participants for the Pravasi Bhartiya Divas-2011 hotel wise and room wise, duration of stay, type of room and tariff entitled for exemption by this notification.
3. The respective hotels in turn shall enclose the certificates along with the aforesaid list issued by the Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India and the copies of the bills raised by the hotels with their luxury tax returns in Form-8 for the month of January 2011. The respective hotels shall also furnish the turnover on accommodation provided to the guests/delegates/participants attending the Pravasi Bhartiya Divas-2011 in column 1(B) of Form-8 as prescribed under Delhi Tax on Luxuries Rules, 1996 for the month of January, 2011 while claiming exemption from payment of luxury tax on the basis of this notification.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(Arvind Jain)
Deputy Secretary -II(Finance)

No.F 12(9)/Fin.(Rev.-I)/2010-11/DST/09

Dated: 05-01-2011

Copy to:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P.Estate, New Dehli- with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part-IV Extraordinary in today's date.
2. The Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs, Govt. of India, Akbar Bhavan, New Delhi-21.
- ✓ 3. The Commissioner of Luxury Tax, L-Block, Vikas Bhavan, I.P.Estate, New Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, Delhi Secretariat, I.P.Estate, New Delhi.
5. The Jt. Secretary (L& J), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P.Estate, New Delhi.
6. Guard File.



(Arvind Jain)
Deputy Secretary -II(Finance)

दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, चौथा तल, ए विंग
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं फा 12(09) वित्त (राजस्व-1)/2010-11/15/15/10/09

दिनांक 05-01-2011

अधिसूचना

सं फा 12(09) वित्त (राजस्व-1)/2010-11/ .- दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का दिल्ली अधिनियम 6) द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 6 जनवरी, 2011 को चैक इन तथा 10 जनवरी, 2011 को चैक आउट (पाँच दिन) सहित 06 जनवरी से 10 जनवरी, 2011 के दौरान होटलों में उपलब्ध कराई गई विलासिता पर विलासिता कर के भुगतान से छूट प्रदान करते हैं :-

प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7-9 जनवरी, 2011 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, 2011 के प्रतिनिधियों /अतिथियों/भागीदारों।

छूट निम्न शर्तों के अनुसार दी गई है :-

1. प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, विलासिता कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रवासी भारतीय दिवस-2011 के लिये होटल अनुसार, कमरा अनुसार, रहने की अवधि, कमरे का प्रकार तथा प्रवासी भारतीय दिवस-2011 के पूर्ण होने के पश्चात् होटल द्वारा लिये गये प्रभार के अनुसार प्रतिनिधियों/अतिथियों/भागीदारों की सूची उपलब्ध करायेगा।
2. प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, प्रवासी भारतीय दिवस-2011 के लिये होटल अनुसार, कमरा अनुसार, रहने की अवधि, कमरे का प्रकार तथा इस अधिसूचना द्वारा छूट के लिये प्रभार पात्रता के अनुसार प्रतिनिधियों/अतिथियों/भागीदारों की सूची सहित संबंधित होटलों के लिये प्रमाण पत्र जारी करेगा।
3. संबंधित होटल क्रम से प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी उपरोक्त सूची सहित प्रमाण पत्र तथा होटलों द्वारा वसूले गये बिलों की प्रतियां जनवरी, 2011 माह के लिये प्रपत्र-8 में उनके विलासिता कर विवरणी सहित प्रस्तुत करेंगे। संबंधित होटल इस अधिसूचना के आधार पर विलासिता कर के भुगतान से छूट का दावा करते समय प्रवासी भारतीय दिवस, 2011 में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/प्रतिनिधियों/भागीदारों को उपलब्ध कराये गये आवास पर दिल्ली विलासिता कर नियमावली, 1996 के अधीन यथानिर्धारित प्रपत्र-8 के कॉलम 1 (ख) में सकल बिक्री भी प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(अरविन्द जैन)
उप-सचिव-II (वित्त)

सं फा 12(09) वित्त (राजस्व-1)/2010-11 / 15-01-2011

दिनांक: 15-01-2011

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग 4 में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. सचिव, प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, अकबर भवन, नई दिल्ली-21
3. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन-ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली
4. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
5. संयुक्त सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
6. गार्ड फाईल ।

(अरविन्द जैन)
उप-सचिव-II (वित्त)